Telegraph Office, Gorakhpur

1015. Shri Vajpayee: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Telegraph Office situated at Gorakhpur Railway Station has been shifted to the Chief Signal and Telecommunication Engineer's office which is more than a mile from the Railway Station; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) Yes, Sir. It has been shifted to C.S.T.E's office about half mile away.

(b) In sole interest of efficiency and economy?

Railway Station, Allahabad

1016. Shri S. M. Banerjee: Will the Minister of Railways be pleased to state the amount sanctioned for the remodelling of Allahabad Station yard?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan): Rs. 12:46 lakhs. The remodelling scheme includes provision of 3 additional through passenger platform lines and the remodelling of up and down goods yards to make them fit for handling 70 wagons trains.

बीकानेर टेलीफोन एक्सचेंज

१०१७. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में तार तथा टेलीफोन कार्यालय के लिये कोई मकान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब आरम्भ होगा; और

(ग) यह इमारत कब तक तैयार हो जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). इस मकान का पहले से ही निर्माण हो रहा है।

(ग) मार्च, १९५८ तक ।

रेलों में पानी का संभरण करने वाले

१०१८. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर डिवीजन में कितने कर्मचारी रेलवे विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों को पानी पहुंचाने के काम पर लगे हुए हैं और उनका मासिक वेतन क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों को अपने जानवरों (ऊंटों) पर दूर के स्थानों से पानी ले जाना पड़ता है, किन्तु उन्हें चारे तथा उनकी अतिरिक्त मेहनत के लिये कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता ; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४७७ । उनका वेतन मान (scale of pay) ३०-१/२—३५ रुपये है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन तथा तार की सुविधायें

१०१९. **श्री खादीवाला :**
श्री राजे लाल व्यास :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन किन तहसील के मुख्य स्थानों पर ३१ अक्तूबर, १९५७ तक

टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ;

(ख) कितने ऐसे तहसील के मुख्य स्थान हैं जहां ये सुविधायें अभी तक उपलब्ध नहीं हैं और उन स्थानों के नाम क्या ह ;

(ग) क्या राज्य सरकार इन स्थानों में टेलीफोन तथा तार की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार से बार बार प्रार्थना करती रही है ; और

(घ) सरकार इन स्थानों पर कब तक इन सुविधाओ की व्यवस्था कर देगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तार सुविधायें : ८०; टेलीफोन सुविधायें : २५।

(ख) से (घ). ऐसे स्थानों के नाम संलग्न विवरण-पत्र मे दिखाये गये हैं, साथ ही उन स्थानों के नाम भी जिनके विषय में सम्बन्धित राज्य सरकार के यत्न से इस सम्बन्ध मे मांग प्राप्त हुई थी तथा जिनके विषय में प्राप्त प्रस्तावो की मंजूरी दी जा चुकी है, इस विवरण-पत्र में सम्मिलित हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ३६] । शेष स्थानों मे इसी प्रकार की सुविधाये तभी उपलब्ध की जायेगी जब कि वहा की आर्थिक स्थिति इस बात की इजाजत दे ।

सम्बन्धित कार्य के लिये सामग्री के प्राप्त होते ही मंजूर किये गये प्रस्ताव पूरे किये जायेंगे ।

तार का भेजा जाना

१०२०. श्री खादीवाला :
श्री राधे लाल व्यास :
श्री के० भे० मालवीय :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान को जैसे कि बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के बीच भेजे गये तार विलम्ब से पहुंचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन तारों को ठीक समय पर पहुंचाने के लिये सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कभी-कभी ।

(ख) तारों के वितरण में शीघ्रता लाने के लिये निम्नलिखित उपाय कार्य में लाये गये हैं :—

(१) स्वतन्त्र वितरण-क्षेत्र वाले स्थानीय तार-घर खोल कर तार वितरण के कार्य को "वि-केन्द्रित" किया गया है ;

(२) बम्बई व कलकत्ता में सुदूरवर्ती क्षेत्रो में तारों के शीघ्र वितरण के लिये "डाक सवार व्यवस्था" सुलभ है ;

(३) उन प्रेषितिओं (addressees) को, जिनके (प्राप्त) तारों में टेलीफोन नम्बर दिये हों, तार टेलीफोन पर वितरित किये जाते हैं । इसके अलावा उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने सम्बन्धित कार्यालयो के बन्द होने के समय अपने तारों को घर पर यथा-समय वितरित किये जाने के प्रयोजन से अपने संक्षिप्त पतों की रजिस्ट्री करा ली है, "विशेष वितरण" सम्बन्धी अनुदेश भी दिये गये है ;

(४) बम्बई में १ मई, १९५६ से जारी की गयी प्रिन्टरग्राम व्यवस्था द्वारा ग्राहकों को वहां के केन्द्रीय तार-घर से इस व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले अन्य ग्राहकों तक सीधे टेलीप्रिन्टर परिपथ (circuit) की सुविधा प्रदान की गयी है ; नयी दिल्ली तथा कलकत्ते में भी इस व्यवस्था का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है ;